मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक / /2023

क्र. एफ IPI/5/0045/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एन्डुराफेब प्रा.लि. द्वारा ग्राम- दोत्र्या, तहसील- बदनावर, जिला- धार में रू. 611.82 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से वेस्ट रिसाईकलिंग द्वारा पीईटी ग्रेन्युल्स एवं फ्लेक्स, पीईटी प्रीफार्म्स, पीईटी FIBCs, पीपी/पीई ग्रेन्युल्स आदि के उत्पादन हेतु नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2212240001) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जायें -

1. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

2. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

3. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

4. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0045/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एन्डुराफेब प्रा.लि., 77, Ashish Nagar, Kanadia Road, Indore-452016, MP, India.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग